संकुल - | OBT. MARKS

Sub. C-6 Gender School & Society

Topic :- महिला शिक्षा के विकास हेतु प्रमुख आयोग/समितियाँ (Main Commission/Committee for the development of Women's Education)

भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात्, बालिका शिक्षा हेतु बहुत प्रयास किये तथा इससे आशातीत सफलता भी मिली है। लोगों में बालिका शिक्षा के प्रति मानसिकता में काफी परिवर्तन हुआ है। वे अब बालिकाओं को बालकों के समान शिक्षा प्रदान करने के प्रति प्रयासरत हुये हैं। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 से संचालित है। संविधान लागू होने के पश्चात संविधान की धारा 45 में 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को अगले 10 वर्षों में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना मुख्य दायित्व निश्चित किया गया।

शिक्षा से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर विचार करने के लिये समय-समय पर कई शिक्षा आयोगों का गठन किया गया, जिसमें प्रमुख निम्नलिखित है:-

(1) विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (डॉ॰ राधाकृष्णन आयोग) (1948-49) - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना। आयोग ने स्त्री शिक्षा के उन्नति हेतु निम्न सुझाव दिये:

(i) बालिकाओं की शिक्षा में वृद्धि कर उनको अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना चाहिये।

(ii) बालिकाओं और बालकों की शिक्षा एक समान न हो अपितु बालिकाओं के अभिरुचि के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिये।

(iii) महिला तथा पुरुष अध्यापकों को समान वेतन।

(iv) बालिकाओं के लिये प्रशिक्षित एवं सुयोग्य व्यक्तियों द्वारा ही प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिये।

P.T.O

Scanned with CamScanner

(v) सहशिक्षा संस्थानों में शिष्टाचार तथा सामाजिक दायित्व पर बल प्रदान किया जाना चाहिये।

(2) माध्यमिक शिक्षा आयोग (मुदालियर शिक्षा आयोग) - (1952-53) :- आयोग का मानना था कि माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं तथा बालकों दोनों की शिक्षा समान होनी चाहिये। स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में आयोग ने निम्न सुझाव दिये :-

(i) स्त्री तथा पुरुष की समान शिक्षा की व्यवस्था की जाये।
(ii) बालिकाओं के पाठ्यक्रम में गृहविज्ञान, शिल्प, उद्योग, संगीत तथा चित्रकारी को स्थान दिया जाये।
(iii) सहशिक्षण संस्थानों में महिलाशिक्षिकाओं की नियुक्ति की जाये।
(iv) बालिकाओं को विद्यालय में पर्याप्त सुविधायें प्रदान की जायें।

इस प्रकार मुदालियर आयोग ने शिक्षा द्वारा महिलाओं को सामाजिक तथा आर्थिक स्वावलम्बन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

3) राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति (1958) :- भारत सरक ने 1958 में स्त्री शिक्षा पर विचार करने के लिये श्रीमती दुर्गाबा देशमुख की अध्यक्षता में 'राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति' की नियु इस समिति को 'देशमुख समिति' भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य - स्त्री शिक्षा की विभिन्न समस्याओं का समाधान क लिये अपने सुझाव प्रस्तुत करना था। 'समिति' ने फ 59 में अपना प्रतिवेदन सरकार के समक्ष प्रस्तुत कि

Scanned with CamScanner

(4) राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद (1959) :-
'देशमुख समिति' की सिफारिश को स्वीकार करके केन्द्रिय शिक्षा-मंत्रालय ने 1959 में 'राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद' का निर्माण किया। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:-
(i) विद्यालयस्तर पर बालिकाओं की समस्याओं पर सरकार को परामर्श देना।
(ii) बालिकाओं के शिक्षा के प्रसार एवं सुधार के लिये लक्ष्यों, नीतियों, कार्यक्रम के विषयों में सुझाव देना।
(iii) बालिका शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रयोगार्थ विभिन्न सुझाव देना।
(iv) बालिका शिक्षा के क्षेत्र में होनेवाली प्रगति का समय-समय मूल्यांकन करना तथा भावी कार्यक्रम की प्रगति पर दृष्टि रखना

(5) हंसा मेहता समिति (1962) :- राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद ने 1962 में श्रीमती हंसा मेहता की अध्यक्षता में स्त्री शिक्षा के पुनर्गठन हेतु सुझाव देने के लिये एक समिति का गठन किया। इसे 'हंसा मेहता समिति' के नाम से भी जाना जाता इस समिति का मुख्य उद्देश्य विद्यालय स्तर पर बालक-बालि के पाठ्यक्रम में लैंगिक भिन्नता सम्बन्धी निर्णय लेना था

हंसा मेहता समिति के सुझाव :-
(1) हंसा मेहता समिति का सुझाव था कि भारतीय समाज लिंग के आधार पर विद्यालयी पाठ्यक्रम में अंतर कर आवश्यकता नहीं है।

Scanned with CamScanner

(ii) बालक - बालिकाओं के सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक कार्यों के अन्तर के आधार पर पाठ्यक्रम में विभेद करना चाहिए।
(iii) पाठ्यक्रम की विभिन्नता समाज के निर्माण कार्य में बाधा न बने, ऐसा प्रयास भी करना चाहिये।

(6) कोठारी कमीशन (1964-66) :- 1964 में भारत सरकार ने डॉ॰ दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नयी दिशा देने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया गया। इसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। कोठारी आयोग (1964-66) या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, भारत का ऐसा पहला शिक्षा आयोग था, जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुये कुछ ठोस सुझाव दिये :-
(i) 6 से 14 आयुवर्ग के सभी लड़के-लड़कियों के लिये अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाये।
(ii) बालिकाओं हेतु अलग से माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना।
(iii) बालिकाओं हेतु अलग से व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था।
(iv) उच्च शिक्षा हेतु बालिकाओं के लिए अलग से महाविद्यालयों की स्थापना की जाये।
(v) बालिकाओं को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री, वस्त्र आदि प्रदान कर उन्हें शिक्षा के प्रति आकृष्ट किया जा सकता है।
(vi) बालिका शिक्षा की निगरानी हेतु केन्द्र तथा राज्य स्तर पर उपयुक्त प्रशासनिक कदम उठाये जायें।
(vii) स्त्रियों के लिए अंशकालिक रोजगारों की व्यवस्था की जाय, जिससे वे पारिवारिक कार्यों से मुक्त होकर शिक्षा का समुचित लाभ उठा सकें।

—X—